पत्रांक-के-पंचा०-117/2001/गृ०वि०-
बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग ।

प्रेषक,

श्री उमेश नारायण पंजियार
आयुक्त एवं सचिव,
गृह विभाग, बिहार ।

सेवा में,

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक-

विषय: विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में ग्राम पंचायतों का सहयोग ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि आये दिन आपराधिक घटनाओं के चलते समाज में तनाव पैदा हो रहा है । जन-प्रतिनिधि होने के नाते पंचायत के मुखिया की जिम्मेवारी है कि अपने स्तर से विधि-व्यवस्था संधारण एवं आपराधिक घटनाओं के नियंत्रण में प्रशासन को उचित मदद करें । इस प्रसंग में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-40 में निहित प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार चुराई हुई सम्पत्ति का ग्राहक या विक्रेता, उद्घोषित अपराधी द्वारा गांव का भ्रमण, अजमानतीय अपराध किये जाने या करने के आशय, गांव में आकस्मिक/अप्राकृतिक मृत्यु [illegible] गांव में व्यवस्था बनाये रखने अथवा अपराध के निवारण से संबंधित विषयों की [illegible] निकटतम थाने को देने का दायित्व सभी ग्रामीणों, विशेष रूप से ग्राम पंचायत [illegible] एवं सदस्यों का है ।

2. पंचायत के अन्दर जन-जीव[illegible]शांति एवं सद्भाव बनाए रखने में भी पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों की अहम [illegible] है । हर पंचायत में ग्राम रक्षा दल कार्यरत है । ग्राम पंचायतों से अपेक्षित है कि [illegible] ग्राम रक्षा दल के सदस्य, पंचायत क्षेत्र के सभी चौकीदार, दफादार एवं गांव [illegible] जवानों को मिलाकर ग्राम सुरक्षा दल गठित करें और उसे टार्च, लाठी, भाला इत्या[illegible] उपलब्ध कराकर गांव की सुरक्षा एवं शांति-सद्भाव सुनिश्चित कराएं ।

3. उपर्युक्त प्रसंग में थाना [illegible] तथा थाने के अन्य पुलिस पदाधिकारी नियमित रूप से थानान्तर्गत सभी पंचायतों का भ्रमण करें और पंचायत के भ्रमण के क्रम में मुखिया तथा पंचायत के अन्य सदस्यों से मिलकर, उनसे पंचायत की विधि-व्यवस्था एवं अपराध की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और उन्हें विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु पंचायतों द्वारा की जानेवाली कार्रवाईयों से भी अवगत करायें । अपने पंचायत भ्रमण के क्रम में मुखिया एवं पंचायत के सदस्यों से हुई बातचीत का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम-87 के प्रावधान के अनुसार अपनी व्यक्तिगत डायरी में अवश्य करें । इस संबंध में व्यक्तिगत डायरी में की गई प्रविष्टियों का निरीक्षण एवं सत्यापन नियमित रूप से आरक्षी अधीक्षक, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी एवं आरक्षी निरीक्षक द्वारा किया जाये तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाय ।

4. अनुरोध है कि उपर्युक्त से सभी ग्राम पंचायतों और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।

विश्वासभाजन,
ह०/-
(उमेश नारायण पंजियार)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक- 200/ गृ० आ० गो० दिनांक- 2.10.2001

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी क्षेत्रीय अपर आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक एवं सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(उमेश नारायण पंजियार)
आयुक्त एवं सचिव ।